क्रम-संख्या-170 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 31 मार्च, 1979

चैत्र 10, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 865/सत्रह-वि0-1--19-1979

लखनऊ, 31 मार्च, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 30 मार्च, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 27 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

विधीकरण

3—मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,

(एक) उन मंडी क्षेत्रों में जहां मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार तदर्थ समिति का संघटन इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कर दिया गया है, वहां ऐसी समितियों द्वारा, और

(दो) उन मंडी क्षेत्रों में जहां ऐसे प्रारम्भ के पूर्व ऐसी समितियों का संघटन नहीं किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा,

किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई कार्य, या की गयी या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या दिया गया या दिया गया तात्पर्यित कोई आदेश (जिसके अन्तर्गत उदग्रहणीय कोई कर या प्रभारित शुल्क भी है) इस प्रकार विधिमान्य और सदैव विधिमान्य रहा समझा जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 865/XVII-V-1—19-1979

Dated Lucknow, March 31, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 30, 1979 :

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1979

[U. P. Act no. 11 of 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972

It is hereby enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 27, 1978.

Amendment of section 2 of U.P. Act 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "one year", the words "two years" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted.*

Validation.

3. Notwithstanding anything contained in the principal Act or any other law for the time being in force, anything done or purporting to have been done, or any action taken or purporting to have been taken, or any order made or purporting to have been made (including any tax levied or fee charged) by—

(i) the *ad hoc* committee constituted in accordance with clause (*a*) of sub-section (1) of section 2 of the principal Act in the market areas where such committees have been constituted before the commencement of this Act; and

(ii) the District Magistrate in the market areas where no such committees have been constituted before such commencement;

shall be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1979, is hereby repealed.

Ordi- no. 2 79.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Adhyadesh shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 439 सा० (विधा०)--31-3-79--(4210)--1979--650 (मेक०)।